

राजस्थान सरकार  
देवस्थान विभाग

क्रमांक प.5(6)देव/92-पार्ट

जयपुर, दिनांक 5.10.2018

अधिसूचना

श्री सांवलियाजी मंदिर अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नांकित व्यक्तियों को श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल में अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में तुरन्त प्रभाव से मनोनीत करती है:-

1	श्री कन्हैयालाल वैष्णव पुत्र श्री तुलसीदास जी, निवासी - मण्डफिया (भदेसर)	अध्यक्ष
2	श्री अर्जुन लाल जीनगर पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जी, विधायक-कपासन, निवासी-राशमी	सदस्य
3	श्री भैरूलाल गाडरी पुत्र श्री उदयलाल जी, निवासी- भूलखेड़ा पो. नाडाखेडा (डूंगला)	सदस्य
4	श्री गेहरीलाल गुर्जर, पुत्र नारायण जी निवासी मान्दलदा (चित्तौडगढ)	सदस्य
5	श्री विजय सिंह पुत्र श्री अमर सिंह जी, निवासी-बुद्धपुरा, पो. नपानिया (भदेसर)	सदस्य
6	श्री भैरूलाल सोनी पुत्र श्री उदयलाल जी, निवासी - मण्डफिया (भदेसर) भैरूलाल जाट पुत्र श्री शंकर लाल जी, निवासी-बानसेर (भदेसर)	सदस्य
7	श्री मदन लाल पुत्र श्री शंकर लाल व्यास जी, निवासी-करोली (भदेसर)	सदस्य
8	श्री भैरूलाल जाट पुत्र श्री शंकर लाल जी, निवासी-बानसेर (भदेसर)	सदस्य


इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) व (5) के अनुसार जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ तथा आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर मंदिर मंडल के पदेन सदस्य होंगे एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी मंदिर मंडल के पदेन सदस्य - सचिव होंगे।

राज्यपाल के आदेश से

  
(कर्ण सिंह गोठवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय देवस्थान राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) देवस्थान राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
6. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
7. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ।
9. निदेशक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
10. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ एवं कृपया प्रकाशित राजपत्र की दो प्रतियां भिजवाने का श्रम करें।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल, मण्डफिया, जिला - चित्तौडगढ मय अतिरिक्त 12 प्रतियों के (समस्त सदस्यों को भिजवाने हेतु)
12. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव